भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 198855

(प्रारूप–अ)

शपथ पत्र

हम प्रतिभा सिंह एवं योगेन्द्र सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सरदार पटेल गर्ल्स कालेज ऑफ आर्ट्स साइन्स एण्ड एजुकेशन गदन खेड़ा उन्नाव उ0प्र0 शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते है।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पार्वती कालेज ऑफ फार्मेसी गदनखेड़ा उन्नाव नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम गदन खेड़ा उन्नाव में गाटा सं0 891 .... एवं ...×........... रकबा क्रमशः 0:202 है .... एवं हे0 कुल रकबा 0:202 ...हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 891 ....एव ....×........... रकबा क्रमशः 0:5 रकबा ....एव 0:202 ...हे0 कुल रकबा 0:202 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08.03.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एव उस पर निर्मित एव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान मे संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान मे संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भलीभांति पालन करूंगा यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13. मै घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वार दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेखो/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वंय उत्तरादायी होऊंगा।

ह0 अध्यक्ष

ह0 सचिव